

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची, दिनांक : 01/04/2014

प्रेषक,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, राँची ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2014-15 के झारखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 सम्बद्ध अधिनियम-04/2014, दिनांक-19.03.2014 द्वारा प्रावधानित राशि के व्यय की अनुमति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट से सम्बन्धित झारखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 पर माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक-14.03.2014 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है । इस का प्रकाशन झारखण्ड अधिनियम संख्या-04/2014 दिनांक-19.03.2014 के रूप में झारखण्ड राज्य के असाधारण अंक में हो चुका है ।

अतः उपरोक्त विनियोग अधिनियम के तहत किये गये बजट प्रावधान का व्यय दिनांक-01.04.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि में नियमानुसार राज्य की संचित निधि से किया जा सकता है ।

नोट :-

- (i) वित्तीय वर्ष 2014-15 से सेवानिवृत्त कर्मियों को वित्त विभाग के पत्रांक - 2668, दिनांक - 04.08.2009 की कण्डिका - 4(क) के तहत एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता बजट गैर योजना मुख्यशीर्ष - 2071 - पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ - उपमुख्यशीर्ष - 01 - सिविल - लघुशीर्ष - 101 - अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते - उपशीर्ष - 10 - सेवानिवृत्त कर्मियों के लिये स्थानान्तरण अनुदान एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता - विस्तृतशीर्ष - 02 - यात्रा व्यय - प्राथमिक इकाई - 84 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय से सेवानिवृत्त कर्मियों के अन्य अनुलाभों की तरह विकलनीय होगा ।
- (ii) 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी प्राथमिक इकाई 01-वेतन से न करके प्राथमिक इकाई 83-15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन से की जायेगी ।
- (iii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति की निकासी प्राथमिक इकाई 01-वेतन से न करके प्राथमिक इकाई 85-चिकित्सा प्रतिपूर्ति से की जायेगी ।
- (iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारों (DDOs) का निर्धारण विभागीय संकल्प संख्या-3245, दिनांक-26.11.2013 के क्रम में मात्र सक्रिय DDOs को संसूचित कर दिया जाय ।

- (v) ऑन लाईन आवंटन (Online Allotment) 01.04.2014 से प्रभावी रहेगा । इसी प्रक्रिया से आवंटन दिया जाय ।
- (vi) E-payment Gateway का Generic or Specific Portal Government Receipt के लिए इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाय ।
- (vii) सभी DDOs को निर्देश दिया जाय कि सरकारी आवास में रहने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाय कि वह HRA नहीं ले रहे हैं एवं License Fee की कटौती हो रही है ।
- (viii) ऑन लाईन प्रत्यर्पण (Online Surrender) भी किया जायेगा ।

यह अधिनियम झारनेट की वेबसाईट-<http://172.16.20.15/budgetjhr> पर भी उपलब्ध है ।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक : झारखण्ड बजट 2014-15 का एक सेट ।

Ap 01/04/14
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक - 29/बी0टी0ई0-15/2013-14/.../70/बजट,

राँची, दिनांक - 01/04/2014

प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / महामहिम राज्यपाल के माननीय परामर्शी (वित्त विभाग) / सचिव, झारखण्ड विधानसभा / महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक : झारखण्ड बजट 2014-15 का एक सेट ।

Ap 01/04/14
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक - 29/बी0टी0ई0-15/2013-14/.../70/बजट,

राँची, दिनांक - 01/04/2014

प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक : झारखण्ड बजट 2014-15 का पाँच सेट ।

Ap 01/04/14
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक - 29/बी0टी0ई0-15/2013-14/.../70/बजट,

राँची, दिनांक - 01/04/2014

प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा परीक्षा), झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक : झारखण्ड बजट 2014-15 का पाँच सेट ।

Ap 01/04/14
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक - 29/बी0टी0ई0-15/2013-14/170/बजट, राँची, दिनांक - 01/04/2014

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सभी जिलों के उप-विकास आयुक्त / सभी कोषागार / उपकोषागार पदाधिकारी पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक : झारखण्ड बजट 2014-15 का एक सेट । (अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक - 29/बी0टी0ई0-15/2013-14/170/बजट, राँची, दिनांक - 01/04/2014

प्रतिलिपि : अवर सचिव, लेखा शाखा, वित्त विभाग / निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय / राष्ट्रीय बचत / प्रेस शाखा / कोषागार शाखा / अंकेक्षण शाखा / बजट शाखा / योजना शाखा, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक : झारखण्ड बजट 2014-15 का एक सेट । (अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव ।